राजस्व आवेदन संख्या 15/2025
उनवान– भूराराम उर्फ महेन्द्रा बनाम केकू वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 15/2025

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भूराराम उर्फ महेन्द्रा पुत्र शिवाराम जाति मेघवाल निवासी जोगियों की दड़ी(आगोर) तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. केकू पत्नी नाथू 2. बीजा पुत्र शिवाराम 3. नथू पुत्र शिवाराम 4. फूलीदेवी पत्नी जेताराम जातियान मेघवाल निवासी बाबा रामदेव नगर भंवार 5. गंगा पत्नी साहूराम। 6. नारूराम पुत्र साहूराम। 7. प्रागाराम पुत्र साहूराम। 8. माणका पुत्र आईदान। जातियान मेघवाल निवासी जोगीयों की दड़ी(आगोर) तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर। 9. तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित : प्रार्थीगण वकील– श्री आम्बाराम पूनड़
विप्रार्थीगण वकील– श्री मेहराराम सारण

–: निर्णय :– **दिनांक 01.04.2025**

प्रार्थी भूराराम उर्फ महेन्द्रा पुत्र शिवाराम जाति मेघवाल निवासी जोगियों की दड़ी(आगोर) तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि सरहद मौजा बाबा रामदेव नगर, पटवार क्षेत्र भंवार, भू–अभिलेख क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाश्त का खेत खसरा नम्बर 375/86 रकबा 7.6162 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है। उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम भूराराम दर्ज करना था जो रेकर्ड तज्वील करते वक्त हल्का पटवारी व राजस्व एजेन्सी ने लिपिकीय भूल से प्रार्थी का नाम भूराराम की जगह महेन्द्रा दर्ज कर दिया, जो लिपिकीय भूल से गलत दर्ज कर दिया है, प्रार्थी का नाम महेन्द्रा कभी नहीं रहा है तथा प्रार्थी का वास्तविक नाम भूराराम ही है जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, [illegible] कार्ड, जन आधार, मूल निवास,

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.05 14:13:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

प्लॉट पट्टा इत्यादि राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय भूल से प्रार्थी का गलत नाम लिख देने से प्रार्थी उक्त लिपिकीय भूल को दुरुस्त करवाने का हकदार होने से प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी का नाम भूराराम की जगह महेन्द्रा दर्ज कर देने से प्रार्थी को हर जगह तरह–तरह की उलझने पैदा होती है। जिससे प्रार्थी को के.सी.सी. कार्ड लेने, पी.एम. किसान बीमा योजना का फायदा लेने गिरदावरी लगान इत्यादि में हर जगह उक्त लिपिकीय त्रुटि से दुविधा पैदा होती है, जिससे प्रार्थी अपने नाम रेकर्ड दुरुस्ती करवाने का हकदार होने से प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त रेकर्ड दुरुस्ती करने से राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न ही उक्त खसरों के सहखातेदारों के हिस्सों में कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसी सुरत में उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करना न्याय संगत है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार, मूल निवास, प्लॉट पट्टा में प्रार्थी का नाम भूराराम ही है। उक्त लिपिकीय भूल की हमें कतई जानकारी नहीं रही तथा न ही हमने कभी रेकर्ड का पठन करवाया। अभी के.सी.सी. करवाने गए व जमाबंदी की नकलें इत्यादि ली तो ज्ञात हुआ कि हमारे खाते में उक्तानुसार लिपिकीय त्रुटि रह गई है। जिससे मैं उक्त त्रुटि को दुरुस्त करवाने का हकदार होने से एवं नियमानुसार दुरुस्ती किए जाने योग्य होने से प्रार्थना पत्र पेश है। आराजी मौजा बाबा रामदेव नगर, पटवार क्षेत्र भंवार, भू अभिलेख क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में स्थित होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा बाबा रामदेव नगर पटवार क्षेत्र भंवार, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाश्त का खेत खसरा नम्बर 375/86 रकबा 7.6162 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम आराजी आराजी में प्रार्थी का गलत नाम से की गई लिपिकीय त्रुटि हो दुरूस्त कर महेन्द्रा की जगह पर भूराराम को राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर महेन्द्रा को दुरुस्त करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.05 14:13:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मेहराराम सारण ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। इस संबंध में न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2025/143 दिनांक 12.02.2025 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार सेड़वा को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जो कि उनके कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2025/671 दिनांक 18.03.2025 द्वारा प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन '' **प्रार्थी भूराराम पुत्र शिवाराम का ग्राम बाबा रामदेव नगर के खसरा संख्या 375/86 में महेन्द्रा पुत्र शिवाराम नाम दर्ज है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई नाथूराम व बींजाराम व अन्य मोतबरानों के नाम के संबंध में पूछताछ कर जांच की गई, जिसमें बताया गया कि प्रार्थी भूराराम को बचपन में महेन्द्रा के नाम से पुकारते थे जिससे भूलवश राजस्व रेकर्ड में महेन्द्रा पुत्र शिवाराम दर्ज हो गया, प्रार्थी भूराराम के सभी साक्ष्य दस्तावेजों आधार कार्ड 799681486971, परिच पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि में भूराराम पुत्र शिवाराम दर्ज है। उक्त खसरा संख्या में प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी भूराराम पूत्र शिवाराम का नाम साक्ष्य दस्तावेजों व कब्जाकाश्त अनुसार सही होने से महेन्द्रा के स्थान पर भूराराम किया जाना उचित है। मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित मोतबरानों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित करवाए गए। उक्त भूमि जरिए नामान्तरकरण संख्या 807 दिनांक 27.10.1999 को घमू पुत्र लछा से क्रय की थी।**'' मौका जांच तथ्यात्मक प्रतिवेदन में संबंधित पक्षकारान् के हस्ताक्षर अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर उभयपक्ष के अधिवक्ता ने बहस की। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 15/2025 उनवान भूराराम उर्फ महेन्द्रा बनाम केकू वगैरा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहतस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रार्थी भूराराम उर्फ महेन्द्रा पुत्र शिवाराम जाति मेघवाल निवासी जोगियों की दड़ी(आगोर) तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी खेत मौजा बाबा रामदेव नगर, पटवार हल्का भंवार, भू अभिलेख क्षेत्र सेड़वा के खसरा संख्या 375/86 रकबा 7.6162 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम महेन्द्रा के स्थान पर भूराराम करने का आदेश दिये जाते है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन (पत्रांकः

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.05 14:13:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

राजस्व आवेदन संख्या 15/2025
उनवान– भूराराम उर्फ महेन्द्रा बनाम केकू वगैरा

भू.अ. / 2025 / 671 दिनांक 18.03.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 04.03.2025 व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.05 14:13:07 IST
Reason: SelfAttested

मौका फर्द

आज दिनांक 04/03/2025 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेड़वा के आदेश क्रमांक / भू.अ./ 404-405 दिनांक 17/02/2025 एवं माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन सं. 15/2025 अनवान भूराराम उर्फ महेन्द्रा बनाम केकू वगैरह अन्तर्गत धारा 136 RLR Act मे ग्राम बाबा रामदेवनगर (मूल ग्राम भंवार) प.म. भंवार के खसरा सं. 375/86 रकबा 7.6162 हेक्टर मे खातेदार महेन्द्रा के स्थान पर भूराराम नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने हल्का पटवारी भंवार के साथ मौके पर आये।

मौके पर उपस्थित प्रार्थी व अन्य मौतबराने के रुबरु मौका मुआयना किया गया, प्रार्थी भूराराम पुत्र शिवाराम का ग्राम बाबा रामदेवनगर के खसरा सं. 375/86 मे महेन्द्रा पुत्र शिवाराम के नाम दर्ज है प्रार्थी व प्रार्थी के भाई नाथूराम व बीजाराम व अन्य मौतबराने के नाम के समक्ष मे पूछताछ कर जाँच की गई जिनके बताया गया कि प्रार्थी भूराराम को बचपन मे महेन्द्रा के नाम से पुकारते थे जिससे भूलवश राजस्व रेकर्ड मे महेन्द्रा पुत्र शिवाराम दर्ज हो गया, प्रार्थी भूराराम के सभी साक्ष्य दस्तावेजो आधार कार्ड 7996,8148 6971, परिचय पत्र, राशनकार्ड जातिप्रमाण पत्र इत्यादि मे भूराराम पुत्र शिवाराम दर्ज है उक्त खसरा संख्या मे प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी भूराराम पुत्र शिवाराम का नाम साक्ष्य दस्तावेजो व कब्जा काश्त अनुसार सही होने से महेन्द्रा के स्थान पर भूराराम किया जाना उचित है।

मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित मौतबराने के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित करवाये गये। उक्त भूमि जरिये नामा० सं. 807 दि० 27/10/1999 को धमूपल लच्छा से क्रय की थी

04/03/25
ILR सेड़वा

प. भंवार

नाथूराम भूराराम नि. नाथु

बीजाराम धना

नि. गोकलराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.05 14:13:07 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा